राज्य् सभा

अतारांकित प्रश्ना सं. 2364

18 मार्च, 2015 को उत्त4र के लिए

इस्पात आयात में वृद्धि को रोकने के उपाय

2364. डा. प्रभाकर कोरे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात के आयात में तीव्र वृद्धि से घरेलू इस्पात विनिर्माण क्षेत्र को नुकसान पहुंच रहा है और इससे सैंकड़ों नौकरियां खत्म हो सकती हैं;

(ख) क्या सरकार इस्पात आयात में तीव्र वृद्धि को रोकने हेतु उच्च आयात शुल्क लगाने और पाटनरोधी उपाय करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तघर

इस्पाोत और खान राज्यो मंत्री श्री विष्णुण देव साय

(क): देश में इस्पाहत उत्पाोदों के आयात में वृद्धि होने के बारे में विभिन्नट हिस्सोंे से अभ्यायवेदन प्राप्तत हुए हैं।

(ख) से (घ): सरकार ने एचएस क्लायसिफिकेशन के अध्यावय 72 और अध्यांय 73 में शामिल लोहा और इस्पाोत सामानों पर निर्यात शुल्क की टैरिफ दर को यथामूल्यि 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया है। घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित याचिका, जिसमें देश में सामानों की डंपिंग होने से घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाया गया हो , के आधार पर डायरेक्टमर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलॉयड ड्यूटीज (डीजीएडी) एंटी डंपिंग संबंधी जांच कार्य करता है। वर्तमान में स्टैंनलेस इस्पा त के उत्पा दों अर्थात स्टैडनलेस इस्पा त के कोल्डध रोल्डे चपटे उत्पाद, स्टैंनलेस इस्पा त के कुछेक हॉट रोल्ड चपटे उत्पा द और 600 एमएम से कम चौड़ाई वाले 400 सीरीज के स्टैरनलेस इस्पात के कोल्डस रोल्डल चपटे उत्पा दोंके संबंध में तीन उपाय किए गए हैं।

***